

3/3  
2015

वकील आपपत्र उपर वकील आपपत्र को सुनाना/  
वकील आपपत्र के अन्तर्गत अत्याई निषेधाज्ञा दिनांक 18/4/22  
को गलत वाद के निर्णय एवं कुछ कुर्र जाने कारण था  
किन्तु वकील ने आपपत्र के कोई आपत्ति नहीं की।  
अतः दिनांक 18/4/22 को जारी अन्तर्गत अत्याई  
निषेधाज्ञा को गलत वाद के निर्णय एवं कुछ कुर्र आपत्ति  
की पत्रावली में लाल अक्षरों में नमूदा संकेतों  
गलत वाद की पत्रावली के साथ संलग्न है।

उपसंहारिका  
धौलपुर (सजरा)